फर्द अहकाम

(नियम–26)

अदालत उपखण्ड अधिकारी बस्सी (जिला जयपुर)

प्रेम देवी बनाम् सरकार

प्रार्थना पत्र धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956

प्रकरण जी.सी.एम.एस. संख्या – 2025/357

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज	नम्बर तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुये
16.07.2025	प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 के तहत स्वयं प्रार्थीया ने उपस्थित होकर पेश किया। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर तहसीलदार वस्सी को तहरीर जारी कर वादग्रस्त आराजी खसरा नम्वर 159 रकवा 1.7703 हैक्टेयर के हिस्सा 9/280 वाके ग्राम मानसर खेडी तहसील बस्सी जिला जयपुर में दर्ज खातेदार प्रेमलता पत्नी जगदीश नारायण मीना के नाम से राजस्व जमावन्दी में दर्ज है। जवकि मेरा वास्तविक नाम प्रेम देवी पत्नी जगदीश प्रसाद मीना है। उक्त भूमि की रजिस्ट्री करवाते समय प्रेम देवी पत्नी जगदीश प्रसाद की जगह प्रेमलता पत्नी जगदीश नारायण सहवन से दर्ज हो गया, जवकि वास्तविक नाम प्रेम देवी पत्नी जगदीश प्रसाद मीना है, जो मेरे पहचान पत्र, विजली–पानी कनेक्शन, आधार कार्ड अन्य सभी दस्तावेजों में दर्ज है। अतः खसरा नम्वर 159 रकवा 1.7703 हैक्टेयर के हिस्सा 9/280 वाके ग्राम मानसर खेडी तहसील वस्सी जिला जयपुर के राजस्व रिकॉर्ड जमावन्दी में दर्ज प्रेमलता पत्नी जगदीश नारायण को दुरूस्त कर सही एवं वास्तविक नाम प्रेम देवी पत्नी जगदीश प्रसाद मीना दर्ज करने का निवेदन किया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात राशन कार्ड, आधार कार्ड, जमावन्दी सम्वत 2076–2079 खाता संख्या 28 खसरा नम्वर 159 रकवा 1.7703 है0, हल्का पटवारी रिपोर्ट इत्यादि का अवलोकन करने के पश्चात हम पाते है कि उक्त वादग्रस्त भूमि में दर्ज खातेदार प्रेमलता पत्नि जगदीशनारायम हिस्सा 9/280 जाति मीना निवासी मीना कॉलोनी खातेदार का वास्तविक नाम प्रेम देवी पत्नी जगदीश प्रसाद मीना दुरूस्त किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थीया स्वीकार किया जाकर आदेश है कि खाता संख्या 28 खसरा नम्वर 159 रकबा 1.7703 हैक्टेयर के हिस्सा 9/280 वाके ग्राम मानसर खेडी तहसील बस्सी जिला जयपुर के राजस्व रिकॉर्ड जमावन्दी में दर्ज खातेदार प्रेमलता पत्नी जगदीशनारायम के स्थान पर प्रेम देवी पत्नी जगदीश प्रसाद मीना दुरूस्त किया जाता है। शेष जमावन्दी बदस्तूर रहेगी। तदानुसार निर्णय की पालना हेतु तहसीलदार बस्सी को तहरीर जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। उपखण्ड अधिकारी बस्सी जिला जयपुर	